न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 : 84/2020(2020/00129)
अनवान :

बजरंगलाल पुत्र शेरसिंह जाति यादव निवासी भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

—वादी

बनाम

1. शेरसिंह पुत्र कनु जाति यादव निवासी भोजासर तहसील भादरा।
2. गोपालदास पुत्र शेरसिंह जाति यादव निवासी भोजासर तहसील भादरा।
3. रोशनीदेवी पुत्री शेरसिंह जाति यादव निवासी भोजासर तहसील भादरा।
4. शारदा पुत्री शेरसिंह जाति यादव निवासी भोजासर तहसील भादरा।
5. निर्मला पुत्री शेरसिंह जाति यादव निवासी भोजासर तहसील भादरा।
6. सुषमा पुत्री शेरसिंह जाति यादव निवासी भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :वकील श्रीमुन्शीराम गोस्वामी : वादी
वकील श्री संजय गोस्वामी : प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक: 08/01/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 एमएसआर के खाता सं0 93/10 के मु0नं0 51 के किला नं0 18 ता 23, मु0नं0 52 के किला नं0 16 व 25 मु0नं0 53 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25, मु0नं0 54 के किला नं0 1 ता 3, 6 ता 25 मु0नं0 62 के किला नं0 1 ता 5, मु0नं0 63 किला नं0 3 ता 5, कुल किता 54 की 13.662 है0 नहरी मय खाला की खातेदारी में प्रतिवादी शेरसिंह के नाम से 1/12 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 2 एमएसआर के खाता सं0 113/104 के मु0नं0 75 के किला नं0 5 व 6, 15, 16 व 25 मु0नं0 76 के किला नं0 8 ता 13, 18 ता 23 कुल 4.301 है0 में प्रतिवादी शेरसिंह के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 1 बीएचपी के खाता सं0 225/35 के मु0नं0 8 के किला नं0 4 व 5 की 0.506 है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी शेरसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है इसी प्रकार चक 1 बीएचपी के ही खाता सं0 226/36 के मु0नं0 8 के किला नं0 1 ता 3 की 0.759 है0 में प्रतिवादी शेरसिंह के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 2 बीएचडी के खाता सं0 103/87 के मु0नं0 18 के किला नं0 15 व 16, 25 की 0. 759 है0 खातेदारी में प्रतिवादी शेरसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.10.20 17:29:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

बीएचडी के खाता सं0 104/98 के मु0नं0 17 के किला नं0 2ता 9, 12 ता 18, 23 ता 25 मु0नं0 18 के किला नं0 11 ता 14, 17 ता 24, मु0नं0 27 किला नं0 16 कुल किता 31 की 7.754 है0 नहरी मय रास्ता खाला की खातेदारी में प्रतिवादी शेरसिंह के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 1 बीएचडी के खाता सं0 127/114 के मु0नं0 51 के किला नं0 11 ता 25, मु0नं0 52 के किला नं0 14 ता 17 किला नं0 24 व 25, मु0नं0 61 किला नं0 4 व 5 मु0नं0 62 के किला नं0 1 ता 3 कुल किता 26 की 6.578 है0 नहरी मय खाला की खातेदारी में प्रतिवादी शेरसिंह के नाम से 1/12 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 1 बीएचडी के खाता सं0 128/113 के मु0नं0 87 किला नं0 12, 13, 18, 19, 22 कुल किता 5 की 1.265 है0 नहरी खातेदारी में प्रतिवादी शेरसिंह के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 6 बारानी के खाता सं0 162/20 के मु0नं0 85 के किला नं0 6 व 7 की 0.506 है0 खातेदारी में प्रतिवादी शेरसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है, इसी प्रकार चक 6 बारानी के ही खाता सं0 163/19 के मु0नं0 103 किला नं0 9 ता 12, 19 ता 22, मु0नं0 104 के किला नं0 6, 7, 14 ता 17, 23 ता 25 कुल किता 17 की 4.301 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी शेरसिंह के नाम से 1/24 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 6 बारानी के ही खाता सं0 164/155 के मु0नं0 83 किला नं0 1, 10, 11, 20 व 21, मु0नं0 84 किला नं0 2 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25, मु0नं0 85 किला नं0 2 ता 5, 8, 9, 12, 13, 18, 19 की कुल 8.855 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी शेरसिंह के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 7 बारानी के खाता सं0 146/9 के मु0नं0 3 के किला नं0 3 ता 5, मु0नं0 4 किला नं0 1, 2, 9 कुल किता 6 की 1.518 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी शेरसिंह के नाम से 1/24 हिस्सा खातेदारी दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि पहले वादी के दादा कनी उर्फ कनु उर्फ कनीराम की खातेदारी हुआ करती थी। कनीराम के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी शेरसिंह के नाम से दर्ज है, वह वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में मिली थी परन्तु प्रतिवादी शेरसिंह कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वादभूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त परिवार की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी शेरसिंह के नाम दर्ज होने से वादी के खातेदारी हकों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.10.20 17:49:40 IST
Reason: SelfAttested

वादभूमि की बाबत वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया था जिसमें प्रतिवादीगण सं0 1, 3 ता 6 ने वादभूमि में अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर अपना हक हिस्सा शून्य कर लिया जिस पर प्रतिवादी शेरसिंह के नाम से दर्ज वादभूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई तथा इसी अनुसार वादी

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

एवं प्रतिवादी सं0 2 की वादभूमि पर कब्जा काश्त चली आ रही है परन्तु रिकार्ड माल में आज भी कुल वादभूमि तन्हा प्रतिवादी शेरसिंह के नाम से दर्ज चली आ रही है। जिससे वादी के खातेदारी हक अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है। जबकि प्रतिवादी सं0 1 के हिस्सा में चक 2 एमएसआर के खाता सं0 114/105 की 1.771 है0 नहरी बारानी मय रास्ता खाला की भूमि हिस्सा में आ चुकी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त प्रतिवादीया सं0 3 ता 6 ने जबाबदावा पेश कर स्वीकार किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू एवं हिन्दू उतराधिकार अधिनियम से शासित होते है। वादभूमि पक्षकारान दावा की पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वाद भूमि बाबत वादी एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया था जिसमें प्रतिवादीगण जवाबदेहिन्दगान ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 2 के पक्ष में छोड दिया था तथा अपना हक हिस्सा शून्य कर लिया था। उक्त पारिवारिक सैटलमेन्ट में प्रतिवादीगण जवाबदेहिन्दगान के के पिता प्रतिवादी सं0 1 के हिस्सा में उक्त सैटलमेन्ट में चक 2 एमएसआर के खाता सं0 114/105 की 1.771 है0 नहरी बारानी मय रास्ता खाला की भूमि प्राप्त हो गई थी। मुताबिक पारिवारिक सैटलमेन्ट यदि वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के नाम होती है तो उसमें प्रतिवादीगण जवाबदेहिन्दगान को कोई आपत्ति नहीं है।

वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी बजरंगलाल के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में चित्रप्रति प्रति प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम 1 एमएसआर खाता सं0 93/10 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भूमि एकीकरण विभाग ग्राम 1मुन्सरी सम्वत् 2016 प्रदर्श 2, चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम 1 बीएचपी खाता सं0 225/35 सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 3, चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम 2 एमएसआर खाता सं0 113/104 सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श 11, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भूमि एकीकरण विभाग ग्राम 2 मुन्सरी सम्वत् 2016 प्रदर्श 12, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू प्रबन्ध विभाग ग्राम 1 बिहारीपुरा सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श [illegible] जमाबन्दी चक 2 बीएचडी खाता सं0 103/87 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श [illegible] प्रमाणित जमाबन्दी भूमि एकीकरण विभाग ग्राम 2 बीएचडी [illegible] 2016 प्रदर्श [illegible], चित्रप्रति जमाबन्दी चक 6 बारानी खाता सं0 62/20, 163/19, 164/155 सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श 7, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भूमि एकीकरण विभाग चक 6 बारानी सम्वत् 2016 प्रदर्श 8, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम7 बारानी खाता सं0 146/9 सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.10.20 17:29:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

9, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू प्रबन्ध विभाग ग्राम 7 बारानी सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 10 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त परिवार की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 का पारिवारिक सैटलमेंट हो गया था। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा वकील वादी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। हस्तगत वाद वादी ने चक 1एमएसआर, 2 एमएसआर, 1 बीएचपी, 2बीएचडी, 1बीएचडी, 6 बारानी, 7 बारानीके राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में अंकित किया है कि वाद कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जो कि पहले वादी के दादा कनी उर्फ कनु उर्फ कनीराम की खातेदारी हुआ करती थी कनीराम के देहान्त के बाद प्रतिवादी शेरसिंह के नाम दर्ज हुई है, जिसकी पुष्टि में वादी ने फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भूमि एकीकरण विभाग ग्राम 1मुन्सरी सम्वत् 2016 प्रदर्श 2, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भूमि एकीकरण विभाग ग्राम 2 मुन्सरी सम्वत् 2016 प्रदर्श 12, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू प्रबन्ध विभाग ग्राम 1 बिहारीपुरा सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 4, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भूमि एकीकरण विभाग ग्राम 2 बीएचडी सम्वत् 2016 प्रदर्श 6, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भूमि एकीकरण विभाग चक 6 बारानी सम्वत् 2016 प्रदर्श 8, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू प्रबन्ध विभाग ग्राम 7 बारानी सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 10 प्रदर्शित करवाये है जिनमें वाद कृषि भूमि वादी के दादा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिससे वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में दावा में वर्णित पक्षकारानों के अलावा अन्य कोई वारिस होना अंकित किया है।प्रतिवादीया सं0 3 ता 6 ने वाद कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 शेरसिंह ने चक 2 एमएसआर के खाता सं0 114/105 की 1.771 है0 नहरी कृषि भूमि के अतिरिक्त अपने नाम अन्य समस्त कृषि भूमि से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग दिया है जिसे उन्होने अपने जबाबदावा व राजीनामा में स्वीकार किया है तथा मुताबिक पारिवारिक सैटलमेंट प्रतिवादी सं0 1 शेरसिंह के हिस्सा में चक 2 एमएसआर के खाता सं0 114/105 की 1.771 कृषि भूमि शेष रही है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.10.20 17:29:40 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य होने के कारणडिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 एमएसआर के खाता सं0 93/10 के मु0नं0 51 के किला नं0 18 ता 23, मु0नं0 52 के किला नं0

उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

16 व 25 मु0नं0 53 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25, मु0नं0 54 के किला नं0 1 ता 3, 6 ता 25 मु0नं0 62 के किला नं0 1 ता 5, मु0नं0 63 किला नं0 3 ता 5, कुल किता 54 की 13.662 है0 नहरी मय खाला की खातेदारी में प्रतिवादी शेरसिंह के नाम से 1/12 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 2 एमएसआर के खाता सं0 113/104 के मु0नं0 75 के किला नं0 5 व 6, 15, 16 व 25 मु0नं0 76 के किला नं0 8 ता 13, 18 ता 23 कुल 4.301 है0 में प्रतिवादी शेरसिंह के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 1 बीएचपी के ही खाता सं0 226/36 के मु0नं0 8 के किला नं0 1 ता 3 की 0.759 है0 में प्रतिवादी शेरसिंह के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 2 बीएचडी के खाता सं0 103/87 के मु0नं0 18 के किला नं0 15 व 16, 25 की 0.759 है0 खातेदारी में प्रतिवादी शेरसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 2 बीएचडी के खाता सं0 104/98 के मु0नं0 17 के किला नं0 2ता 9, 12 ता 18, 23 ता 25 मु0नं0 18 के किला नं0 11 ता 14, 17 ता 24, मु0नं0 27 किला नं0 16 कुल किता 31 की 7.754 है0 नहरी मय रास्ता खाला की खातेदारी में प्रतिवादी शेरसिंह के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 1 बीएचडी के खाता सं0 127/114 के मु0नं0 51 के किला नं0 11 ता 25, मु0नं0 52 के किला नं0 14 ता 17 किला नं0 24 व 25, मु0नं0 61 किला नं0 4 व 5 मु0नं0 62 के किला नं0 1 ता 3 कुल किता 26 की 6.578 है0 नहरी मय खाला की खातेदारी में प्रतिवादी शेरसिंह के नाम से 1/12 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 1 बीएचडी के खाता सं0 128/113 के मु0नं0 87 किला नं0 12, 13, 18, 19, 22 कुल किता 5 की 1.265 है0 नहरी खातेदारी में प्रतिवादी शेरसिंह के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 6 बारानी के खाता सं0 162/20 के मु0नं0 85 के किला नं0 6 व 7 की 0.506 है0 खातेदारी में प्रतिवादी शेरसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है, इसी प्रकार चक 6 बारानी के ही खाता सं0 163/19 के मु0नं0 103 किला नं0 9 ता 12, 19 ता 22, मु0नं0 104 के किला नं0 6, 7, 14 ता 17, 23 ता 25 कुल किता 17 की 4.301 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी शेरसिंह के नाम से 1/24 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 6 बारानी के ही खाता सं0 164/155 के मु0नं0 83 किला नं0 1, 10, 11, 20 व 21, मु0नं0 84 किला नं0 2 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25, मु0नं0 85 किला नं0 2 ता 5, 8, 9, 12, 13, 18, 19 की कुल 8.855 है0 बारानी खातेदारी मे प्रतिवादी शेरसिंह के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 7 बारानी के खाता सं0 146/9 के मु0नं0 3 के किला नं0 3 ता 5, मु0नं0 [illegible] किला नं0 1, 2, 9 कुल किता 6 की 1.518 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी शेरसिंह के नाम से 1/24 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 का नाम [illegible] किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रवितादी सं0 1, 3 ता 6 ने अपना अपना अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग दिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि वाद कृषि भूमि बैंक के रहन है तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.10.20 17:29:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। चक 2 एमएसआर के खाता सं0 114/105 की 1.771 है0 कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 शेरसिंह के नाम यथावत् दर्ज रहेगी। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08/01/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.10.20 17:29:40 IST
Reason: SelfAttested